प्रा0पत्र/32/2023 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर.

.....प्रार्थी0

बनाम

मोईन पुत्र यूनुस खॉ जाति मेव मुसलमान निवासी ग्रांम उटोन थाना विलासपुरा भौंडा कलॉ जिला नूँह हरियाणा।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 701/2022 धारा 3,5,8व 9 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :–
1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2–श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 22.3.2024

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2022 को सूचना मिली कि बांसी हाईवे पर गायों से भरा एक ट्रक फंसा हुआ है मुताविक सूचना पर मौके पर बांसी पहुचने पर पाया एक ट्रक 6 चक्का बांसी से धानौता को जाने वाले कच्चे रास्ते पर रोड के किनारे खेत में भरे पानी मे फसा हुआ खडा है जिसके आगे पीछे रजि0 नं. आरजे 40 जीए 1176 की नम्बर प्लेट लगी हुई थी। ट्रक को चैक किये जाने पर ट्रक के अन्दर ठूँस ठूँस कर गौवंश भरा नजर आया जो रस्सीयों से बंधा हुआ था और सभी गौवंश एक दूसरे के ऊपर पडे हुये थे, गौवशं को चैक किया गया तो ट्रक कुल 26 गौवंश भरे हुये मिले। जिनमें 12 नर गौवंश जीवित व 5 मादा गौवंश जीवित एवं 2 नर गौवंश मृत व 7 मादा गौवंश मृत अवस्था में पाये गये। अज्ञात मुलजिमान द्वारा उक्त सभी गौवंश को निद्रयता पूर्वक ठूँस ठूँस कर एक दूसरे के ऊपर रस्सियों से बांधकर राजस्थान राज्य से बाहर बध करने के लिये अन्य स्थान पर परिवहन कर भरकर ले जाना पाया गया एवं ट्रक के कीचड में फस जाने के कारण ट्रक को

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

मौके पर खडा छोडकर भाग जाना पाया गया। उक्त ट्रक मालिक एवं अन्य साथी आज्ञात मुलजिमान द्वारा गौवंश को निर्दयता पूर्वक ट्रक में रस्सीयों से बांध कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कर ले जाना जुर्म धारा 3,5,8,9 आरबीए एक्ट 1995 व धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम 196 की तारीफ में आना पाया गया। वाहन को जप्त किया जाकर 17 जीवित गौंवश को गौशाला गढी सावंलदास भरतपुर में भर्ती कराया गया तथा मृत गौवंश को डाक्टर से पोस्टमार्टम कराया जाकर दफनाया गया। जप्त वाहन द्वारा व्यक्तियों द्वारा गौंवश को वद्य के लिये राजस्थान से बाहर परिवहन करने में लिप्त पाया गया है यह अपराधा धारा 3,5,8,9 आरबी एक्ट 1995 व 11 (घ) प्शु क्रुरता अधिनियम 1960 के दण्डनीय अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। इसी दरम्यान रजिस्टर्ड वाहन मालिक मोईन पुत्र युनुस खां जाति मेव निवासी ग्रांम उटोन थाना विलासपुर भोडा कलां जिला नूँह मेवता हरियाणा मय अभिभाषक श्री विजयसिंह कुन्तल उपस्थित आये। वाहन मालिक की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र धारा 6 ए गौवंश अधिनियम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी की ओर सह ए.पी.पी उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार की ओर से ए.पी.पी. ने अपनी वहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये वताया कि पुलिस थाना सेवर ने गौवंश के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर मौके पर एक ट्रक संख्या आरजे 40 जीए 1176 मिला जिसको चैक करने पर ट्रक के अन्दर गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये बंधे मिले जिनमें से कुछ गौवंश मृत हो चुके थे। चालक व वाहन मालिकों द्वारा गौवंश को अवैध रुप से परिवहन कर गौवध के लिये ले जाना अपराध धारा 5,6,8,9 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आता है। ए.पी.पी. ने बताया कि जप्त शुदा वाहन को गौकशी परिवहन तस्करी में उपयोग में लिया जा रहा था। प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी0 के खिलाफ धारा 6ए का प्रकरण झूंठा एवं मनगढ़त है। प्रार्थी मोईन पुत्र युनुस खां जप्त वाहन आरजे 40 जीए 1176 का रजिस्टर्ड मालिक है, इनका गौवंश परिवहन से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी स्वयं द्वारा कोई भी कृत्य गौवंश पशु अधिनियम व पशु क्रुरता अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया गया है प्रार्थी द्वारा न तो अपने वाहन में गौवंश को भरा गया और न ही कोई पशु क्रूरता की गयी योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कहना है

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

कि प्रार्थी ने शारुख पुत्र जलेव खां को ड्राईवर रखा हुआ था वह ही वाहन से माल का परिवहन करता था। वाहन मालिक ने कभी भी कोई भी अनैतिक कृत्य करने के बारे में ड्राईवर से नहीं कहा, ड्राईवर द्वारा किये गये कृत्य की प्रार्थी को जानकारी भी नहीं है। ऐसी सूरत में प्रार्थी अनभिज्ञात में ड्राईवर द्वारा किये गये किसी भी कृत्य की सजा प्रार्थी को नही दी जा सकती और न ही प्रार्थी के वाहन को जप्त रखा जासकता है। इसलिये कार्यवाही दफा 6ए निरस्त फरमाई जावे। जप्त वाहन को प्रार्थी को रिलीज किया जाावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि प्रार्थी वाहन मालिक ने कोई कृत्य नहीं किया है। ड्राईवर के कृत्य की सजा वाहन मालिक को नहीं दी जासकती है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं क्यों कि अधिनियम में प्रावधान दिया गया है जो इस प्रकार है –
अधिनियम का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:–

> ".....Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provid under section 8 of the Act for person committing the said offence....."

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :–

> "Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी सेवर द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या वाहन संख्या आरजे 40 जीए 1176, गौवंशीय पशुओं को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाया गया है, अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 5,6,8,9 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या आरजे 40 जीए 1176 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

थाना अधिकारी सेवर बनाम मोईन

और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाता है।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या आरजे 40 जीए 1176 वाहन पर राशि 200000/– (दो लाख रुपये) जुर्माना (Fine) लगाया जाता है। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जावेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में जप्त ट्रक संख्या आरजे 40 जीए 1176 के वाहन मालिक 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 200000/– (दो लाख रुपये,) राजकोष में जमा करादे, तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना सेवर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर